कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर (म0प्र0)

(E-mail – dfoanagrt@mp.gov.in Fax- 07443-221120. Ph- 07543-221120)

क्रमांक/डी.एम./19/3859 अशोकनगर, दिनांक -09 दिसम्बर 2019

प्रति,

एस.डी.ओ.
बी.एस.एन.एल.
अशोकनगर म.प्र.

विषय :- नेशनल ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क प्रोजेक्ट अन्तर्गत ओ.एफ.सी. केविल (भूमिगत) लाईन बिछाने बावत् । ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक **FP/MP/OFC/36830/2018** (ईसागढ़-कदवाया)

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र/डी.एम./19/3064 दिनांक 30.09.2019 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध) का पत्र क्र/एफ-5/विविध/2019/10-11/3809 दिनांक 02.12.2019

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त Proposal No. FP/MP/OFC/36830/2018 ईसागढ़ से कदवाया तक 0.038 हे0 में ओ.एफ.सी.लाईन गुजारे जाने हेतु प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति शर्तें निर्धारित कर कार्यालयीन संदर्भित पत्र से प्रदान की गई थी । आपके द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं रू0 100/- चालान के माध्यम से जमा कराने एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र क्र/3809 दिनांक 02.12.2019 के पालन में निम्नानुसार शर्तें निर्धारित कर औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अनु. क्र.	स्थल का नाम	परिक्षेत्र	आरक्षित/ संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	भूमि की लम्बाई (मी.में)	भूमि की चौड़ाई (मी.में)	आवेदित क्षेत्रफल हे0 में	अक्षांश/देशांश
1		4	5	6	7	8	9	
1.	ईसागढ से कदवाया	अशोक नगर	महुअन	पी.एफ. -80	855	0.45	0.038	1- N-24⁰53'29.08'' E-77⁰53'1.46'' 2- N-24⁰53'33.04'' E-77⁰53'2.92'' 3- N-24⁰53'38.07'' E-77⁰53'6.74'' 4- N-24⁰53'44.98'' E-77⁰53'8.91'' 5- N-24⁰53'54.68'' E-77⁰53'11.39'' 6- N-24⁰53'59.97'' E-77⁰53'12.14'' 7- N-24⁰54'6.26'' E-77⁰53'13.58'' 8- N-24⁰54'10.28'' E-77⁰53'15.07'' 9- N-24⁰54'14.80'' E-77⁰53'16.12''
				योग -	**855**	**0.45**	**0.038**	

अतः म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्र0/ एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 31.05.2014 अनुसार 01 हे0 से कम के प्रस्ताव होने पर ज्ञाप में उल्लेखित शर्तों के अधीन वनक्षेत्र के अन्तर्गत मार्ग के किनारे भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन गुजारने की निम्न शर्तों के अधीन **<u>औपचारिक स्वीकृति</u>** प्रदान की जाती है:-

1- भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात् प्रकरण संरक्षित वन का होने से वन भूमि संरक्षित वन ही रहेगी ।

क्रमशः - 2 -

2- उपयोगकर्ता अभिकरण व्यवपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव-जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुक्सान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा ।

3- यह वनभूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी । भूमि प्रयोजनों में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा ।

4- वनों के संरक्षण, अनुरक्षक तथा संबंर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा ।

5- वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे ।

6- उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र दिया जावेगा कि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी ।

7- Cable Line मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानान्तर में ही डाला जावेगा । केविल की दूरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जावेगा ।

8- वनक्षेत्र के अन्दर स्थित मुरम, मिट्टी एवं पत्थरों का उत्खनन नहीं किया जावे ।

9- समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा ।

10- समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा ।

11- खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों एवं वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा ।

12- यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वनक्षति की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा देय होगी ।

13- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अधीन क्षेत्र में यदि जंगलकलां/जंगलखुर्द की भूमि प्रभावित होती है तो उसके लिए कलेक्टर द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

14- कार्य करने वाले मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट जलाऊ लकड़ी शासकीय स्वीकृत डिपो से उपलब्ध कराई जावे । जिसकी राशि का समायोजन परियोजना की लागत में किया जावे ।

15- सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावे ।

16- निर्माण किये गये स्थान पर स्थाई बोर्ड आदि उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जावें।

17- उक्त कार्य में स्थानीय वन समिति के लोगों को मजदूरी हेतु प्राथमिकता दी जावे ।

18- यदि उक्त कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी या नियोक्ता (ठेकेदार) के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसका नाम, पते आदि की समस्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे ।

क्रमशः - 3 -

19- उक्त कार्य निर्धारित एलाईनमेन्ट के भीतर ही किया जावे । यदि स्वीकृत एलाईनमेन्ट के बाहर कार्य पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध वन अधिनियम 1980 में विहत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाकर स्वीकृति निरस्त की जावेगी ।

20- निर्माण के दौरान अनुपयोगी मटेरियल को वनक्षेत्र में न डाला जावे ।

21- उपरोक्त स्वीकृति की अवधि जारी तिथि से 01 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी । उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त होगी ।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर दी गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं वन संरक्षण अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर

पृ.क्रमांक/डी.एम/19/3860 अशोकनगर, दिनांक -09 दिसम्वर 2019

प्रतिलिपि :-

01- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध कक्ष), म0प्र0 शासन भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ संप्रेषित ।

02- मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

03- कलेक्टर, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

04- उप वनमण्डलाधिकारी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

05- वन परिक्षेत्राधिकारी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । आप समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण करें एवं उल्लेखित शर्तों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य,वनमण्डल, अशोकनगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
13-12-19